(53)

# राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष
एस0एस0 अली
सदस्य

निगरानी प्र0क0 2940-दो/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.07.2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 655/2013-14 अपील .

---

1- प्रेमलाल तनय मंहगी लाल
2- अर्जुन सिंह तनय मंहगी लाल
3-त्रियुगी तनय मंहगी लाल
4-तेजवली तनय मंहगी लाल
समस्त निवासीगण ग्राम हरदोखर
तहसील उचेहरा जिला सतना
5- प्रभा पुत्री मंहगी लाल पत्नी बसंत लाल
निवासी ग्राम हरदोखर
तहसील उचेहरा जिला सतना
6-राघवेन्द्र सिंह ईश्वरदीन सिंह
7- प्रभाकर सिंह 8-अमित
9- गरिमा 10- लबली सभी के पिता
राघवेन्द्र सिंह अना0 8, 9 नाबालिग
बली सरपरस्त पिता राघवेन्द्र सिंह
निवासी कोठी जिला सतना म0प्र0

--- आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती कान्ती सिंह पत्नी
घनश्याम सिंह बरगाही
निवासी ग्राम हरदोखर
तहसील उचेहरा जिला सतना

--- मूल अनावेदक

घनश्याम तनय महंगी लाल
निवासी ग्राम हरदोखर
तहसील उचेहरा जिला सतना --- फॉरमल पक्षकार

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री ए0 एन0 शर्मा)
(एवं अभिभाषक श्री एस0 एल0 सोनी)

## आ दे श

( आज दिनांक 02 -05-2017 को पारित )

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 655/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 21.7.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2-प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि अनावेदिका द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त अटरा की नामांतरण पंजी क्रमांक 23 में पारित आदेश दिनांक 16.5.06 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 (1) के तहत अनुविभागीय अधिकारी उचेहरा जिला सतना के यहां अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 19.6.14 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा गया, जिससे परिवेदित होकर द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत की जो उनके द्वारा आदेश दिनांक 21.7.16 को स्वीकार की गई जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रेमलाल आदि आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3- आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा है कि मंहगीलाल की मृत्यु 01.02.2005 को हुई। मृत्यु के उपरांत पिता की जमीन पर सभी वैध वारिसों द्वारा विधिवत् नामांतरण पंजी क्रमांक 23 आदेश दिनांक 15.05.2006 से वारिसान के आधार पर नामांतरण सभी भाइयों की सहमति से करा लिया जिसमें अनावेदक श्रीमती कांति के पति घनश्याम सिंह का भी नामांतरण वारिसान के आधार पर हुआ श्रीमती कांति को उस वारिसान नामांतरण आदेश दिनांक 16.05.2006 की विधिवत् जानकारी थी। उसके बाद अनावेदक घनश्याम की पत्नी श्रीमती कांति बाई द्वारा सोची समझी साजिश के तहत फर्जी वसीयतनामा तैयार किया गया जो वसीयतनामा रजिस्टर्ड वसीयतनामा नहीं उस वसीयतनामा को पिता की मृत्यु दिनांक 01.02.2005 के बाद वर्ष 2012-13 में जाकर अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा रिकॉर्ड का एवं वसीयत के गवाहो के साक्ष्य व कथन लेने के उपरांत यह पाया गया कि सभी गवाहों के वयान एक दूसरे के विपरीत एवं विरोधाभासी है। वसीयत को भी काफी समय के बाद नामांतरण के लिये निष्पादन कराना भी एक कूटरचित एवं न्याय की विफलता का प्रमाण भी है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदकगंण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

4-अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि वसीयतनामा में वर्णित आराजी स्व0 महंगीलाल सिंह बरगाही के हिस्से की जमीन है, जिसे अपनी पुत्रबधू अनावेदक के नाम वसीयत का निष्पादन करा दिया था जिसे आवेदकगण ने अपने नाम वारिसाना करा लिया था।

स्व0 महंगीलाल सिंह अपने स्वयं के हिस्से की भूमि को किसी को भी वसीयत करने में स्वतंत्र है तथा हिन्दू संशोधन लॉ के अनुसार ही उन्होंने ऐसा किया था, वसीयत को गलत फर्जी व निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। राजस्व न्यायालय सिर्फ वसीयत के आधार पर नामांतरण करने का अधिकार रखता है। यदि वसीयत को कोई पक्षकार चैलेंज करता है तो उसे सिविल न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है। वसीयतकर्ता द्वारा विधिवत स्वस्थ चित्त से दो गवाहों एवं अपने पुत्रों की सहमति से वसीयत का निष्पादन कराया गया है। उसी के अनुरूप प्रकरण में भी सभी बातों का उल्लेख है, तथा वसीयत लिखते समय जो स्थिति थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो साक्ष्य प्रकरण में गुजरी है उसमें एक रूपता दिखती है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अनावेदक एवं उसके साक्षियों के साक्ष्य का सही ढंग से अवलोकन किये वगैर निष्कर्ष निकाल कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील को निरस्त किया गया जो विधि प्रावधानों के विरूद्ध था, अपर आयुक्त रीवा द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह स्वच्छ एवं विधि के अनुसार किया गया है। मंहगीलाल व उनकी पत्नी व उनके पुत्रों के बीच विभाजन के पश्चात् अपने पुत्र घनश्याम सिंह के साथ शामिल होकर रहने लगे। घनश्याम एवं उनकी पत्नी कांति सिंह सेवा करते थे। मंहगीलाल द्वारा अपनी पुत्रवधु कांति सिंह की सेवा से प्रसन्न होकर अपने हक हिस्से की कुल किता 8 कुल रकवा 4 वीघा 15 विस्वा यानि 0.993 हैक्टेयर वांके मौजा पतौरा तहसील उचैहरा जिला सतना की आराजियातों को वसीयतनामा गवाहान

अपनी बहु कांति सिंह के सभी पुत्रों की सहमति से लिख दिया गया था। उक्त संबंध में अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा उद्धरण प्रस्तुत किया है। **म0प्र0 राजस्व निर्णय 2015 पेज 177 झरयारी बाई एवं अन्य सत्यनारायण केवट एवं अन्य उच्च न्यायालय बुद्ध सिंह विरूद्ध शौखीलाल** पेज 184 प्रस्तुत किया है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया है कि आवेदगंण की निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जावे एवं अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 21.07.2016 स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया है।

5-उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अवलोकन किया गया अभिलेख के अवलोकन करने पर पाया गया कि वादग्रस्त भूमि के भूमिस्वामी की मृत्यु हो चुकी है। भूमिस्वामी की मृत्यु के बाद आवेदकगण प्रेमलाल आदि ने वारिसाना नामांतरण करा लिया था। अनावेदक का कहना है कि भूमिस्वामी ने आवेदक के पक्ष में वसीयत का निष्पादन कराया था। दाह संस्कार में व्यस्त रहने के कारण आवेदक के द्वारा मौके का फायदा उठाकर मृत्यु के तत्काल बाद ही वारिसाना नामांतरण करा लिया था वसीयत ग्रहीता द्वारा अनावेदक को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई, वसीयतकर्ता ने अपनी स्वेच्छा से वसीयत का निष्पादन कराया हैं वह अनावेदक की सेवा से खुश होकर वसीयत का निष्पादन कराया था। आवेदकगण का कहना है कि वसीयत के साक्षियों के कथन में एकरूपता नहीं है। वसीयत फर्जी है। वादग्रस्त भूमि को प्राप्त

करने की एक सोची समझी चाल है। इसीलिये अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा अपील खारिज की गई थी।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनावेदक की सेवा से खुश होकर अनावेदक के पक्ष में वसीयत का निष्पादन कराया था इसलिये वसीयत को अमान्य कर वारिसाना को महत्व देना न्यायोचित नहीं है। स्पष्ट है कि भूमिस्वामी के द्वारा वसीयत का निष्पादन कराया गया था। इसलिये प्रमाणित होने पर वसीयत के आधार पर अपीलांट को वादग्रस्त भूमि प्राप्त होनी चाहिये । चूंकि वसीयत प्रमाणित है। भूमिस्वामी के द्वारा वसीयत का निष्पादन कराया गया था। इसलिये अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश को न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज एवं तर्क से अपील की पुष्टि होती है। अतएव उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी उचहेरा का प्रकरण कमांक 27/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 19.06.2014 निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण कमांक 655/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 21.7.2016 उचित होने से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाता हूँ। अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। परिणामस्वरूप अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 21.07.2016 स्थिर रखा जाता है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर